प्रेषक,

सुनील कुमार–I,
विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी(पी0ए0) एक्ट,
मुरादाबाद,

द्वारा– जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद,

सेवा में,

श्रीमान महा–निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद,

विषय–पत्रांक सं0–4884/IV-3038/एडमिन, (ए–4), इलाहाबाद, दिनांकित 17.04.2017, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष–2004–2005, 2005–2006, 2007–2008 एवं 2011–2012 में गृह–खर्च पर किये गये व्यय को स्पष्ट करते हुये संशोधित प्रापर्टी स्टेटमेन्ट दाखिल करने हेतु दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

ससम्मान् निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं0–63/IV-H-16/Admin.(A), दिनांकित 10.12.1998 एवं परिपत्र सं0–63/IV-H-16/Admin.(A), दिनांकित 13.05.2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2008–09, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का चल व अचल सम्पत्ति का विवरण पूर्व में प्रेषित किया गया था, जिस पर उक्त पत्रांक के द्वारा मुझसे वर्ष 2004–2005, 2005–2006, 2007–2008 व वर्ष 2011–2012 में गृह खर्च हेतु धनराशि क्रमशः रुपए 75,999/–, रुपए 1,00,243–00, रुपए 1,98,569/– एवं रुपए 1,08,633/– को गृह खर्च हेतु अपर्याप्त मानते हुये उक्त वर्षो में गृह खर्च को स्पष्ट करते हुये संशोधित चल–अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में मेरा स्पष्टीकरण निम्नवत है---

1– वित्तीय वर्ष 2004–2005 के चल–अचल सम्पत्ति विवरणी में जी0पी0एफ0 की धनराशि टंकण त्रुटि से रुपए 2,000–00 के स्थान पर रुपए 20,000–00 टंकित हो गयी थी। ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, नवीन नगर, जनपद–बुलन्दशहर में मेरा दो सगे भाईयों के साथ संयुक्त खाता है, जिसमें सरकारी गन्ना मिल, अनूपशहर से गन्ने का भुगतान किया जाता है। उक्त खाते में मेरे द्वारा कोई धनाशि कभी भी जमा नहीं की गयी है।

वर्ष–2004–2005 में वेतन धनराशि रुपए 1,85,860–00 में से कुल कटौती रुपए 40,386/– (जी.पी.एफ. रुपए 2,000/–, जी.आई.एस. रुपए 1,440/–, आयकर रुपए 24,178/–, कार लोन रुपए 12,768/–) के पश्चात रुपए 1,45,474–00 शेष बचे थे, जो पति–पत्नी एवं लगभग 03 वर्ष व 01 वर्ष के दो बच्चों के घरेलू खर्च (House Hold Expenses) के लिये पर्याप्त थे।

2– वित्तीय वर्ष 2005–2006 में वेतन धनराशि मुवलिग रुपए 1,92,655/– में से कुल कटौती रुपए 72,284–00 (जी.पी.एफ. रुपए 15,910/–, जी.आई.एस. रुपए 1,440/–, आयकर रुपए 17,350/–, कार लोन रुपए 38,304/–) के पश्चात रुपए 1,20,374/– शेष बचे थे, जो पति–पत्नी एवं लगभग 04 वर्ष व 02 वर्ष के बच्चों के घरेलू खर्च (House Hold Expenses) के लिये पर्याप्त थे।

3– वित्तीय वर्ष 2007–2008 में वेतन धनराशि रुपए 3,11,808/– में से कुल कटौती रुपए 85,788/– (जी.पी.एफ. रुपए 17,630/–, जी0आई0एस0 रुपए 1,440/–, आयकर रुपए 28,414/–, कार लोन रुपए 38,304/–) के पश्चात रुपए 2,26,020/– शेष थे, जो पति–पत्नी एवं लगभग 06 वर्ष व 04 वर्ष के दो बच्चों के घरेलू खर्च (House Hold Expenses) के लिये पर्याप्त थे।

4– वित्तीय वर्ष 2011–2012 में छठे वेतन आयोग का वेतन एरियर रुपए 4,79,763/– था, जिसमें से जी0पी0एफ0 रुपए 1,63,949/– एवं आयकर रुपए 88,587/–की कटौती के पश्चात शुद्ध भुगतान रुपए 2,27,305/–प्राप्त हुआ।

वेतन एरियर (द्वितीय श्रेणी वर्ग का दिनांक 01.01.2006 से 15.12.2008) का 70 प्रतिशत रुपए 3,07,827/–, जिसमें से जी0पी0एफ0 रुपए 1,75901/– एवं आयकर रुपए 69,621/– की कटौती के पश्चात शुद्ध भुगतान रुपए 62,305/– चालान सं0 ए–47/31.03.2011 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–2011 में प्राप्त हुआ, किन्तु उक्त रुपए 62,305/– का भुगतान वित्तीय वर्ष 2011–12 में मेरे एस0बी0आई0 के वेतन खाते में दिनांक 13.04.2011 को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जनवरी, 2011 व फरवरी, 2011 का पैट्रोल का भुगतान रुपए 6,051/– व जुलाई, 2010 से फरवरी, 2011 तक का अखबार व पत्रिका का भुगतान रुपए 2,312/– मेरे एस0बी0आई0 खाते में दिनांक 13.04.2011 को प्राप्त हुआ। इस वित्तीय वर्ष 2011–2012 में एस0बी0आई0 वेतन खाते पर ब्याज रुपए 6,624/– दिनांक 30.06.2011 को एवं इसी खाते पर ब्याज रुपए 16,965/– दिनांक 13.12.2011 को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव का कार्य करने के मानदेय के रूप में रुपए 1,500/– दिनांक 04.05.2011 को तथा आर0ई0सी0 इन्फ्रा बाण्ड के ब्याज के रूप में रुपए 1,640/– दिनांक 31.03.2012 को प्राप्त हुये थे। उपरोक्त कुल धनराशि रुपए 97,397/– एस0बी0आई0 के वेतन खाते में जमा हुयी है।

इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में वेतन रुपए 8,13,804/– प्राप्त हुआ था, जिसमें से रुपए 2,03,179/– की कटौती के पश्चात रुपए 6,10,625/– शेष थे।

इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष की शुद्ध प्राप्त धनराशि रुपए 6,10,625/–में सम्पूर्ण कटौतियों एवं बैंक जमा धनराशि की कटौती के पश्चात खर्च हेतु रुपए 1,96,891/– शेष थे।

इसके अतिरिक्त मेरे पास 1.519 हेक्टेयर पैतृक कृषि भूमि भी है, जिससे घरेलू उपयोग का सामान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कृषि भूमि से प्राप्त घरेलू उपयोग के सामान एवं वेतन आदि से प्राप्त उक्त आय वर्ष 2010–2011 में कस्बा–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही में पति–पत्नी एवं लगभग 08

4

वर्ष व 10 वर्ष के दो बच्चों के घरेलू खर्च (House Hold Expenses) के लिये पर्याप्त थी।

वित्तीय वर्ष 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2008–09, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की चल–अचल सम्पत्ति की संशोधित विवरणी साथ में संलग्न है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मेरे उक्त वित्तीय वर्षों की बाबत घरेलू खर्च के मेरे इस स्पष्टीकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक– 23.12.2021

संलग्नक–उपरोक्तानुसार,

भवदीय,

Sunil
23/12/2021

(सुनील कुमार–I)
विशेष न्यायाधीश,
एससी/एसटी (पी०ए०) एक्ट,
मुरादाबाद